

27-10-2017

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0  
आरोपी अनुपस्थित।

### प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी मिथुन को जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तारी वारंट मय फरारी पंचनामा के साथ फरारी साक्ष्य हेतु आरक्षी केन्द्र भरवेली जिला बालाघाट से प्रधान आरक्षक शिवदयाल पटले क0 569 उपस्थित।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि आरोपी मिथुन दिनांक 30.01.17 को अनुपस्थित था उसकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुये इस कारण उसके जमानत मुचलके निरस्त कर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी अनुपस्थित है। आरोपी के विरुद्ध बार-बार गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। आरोपी के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट प्रधान आरक्षक शिवदयाल पटले आरोपी के फरार होने के पंचनामा सहित अदम तामील लेकर उपस्थित हुये।

उपस्थित साक्षी प्रधान आरक्षक शिवदयाल पटले की फरारी साक्ष्य लेखबद्ध की गई। फरारी पंचनामा को कमशः आर्टिकल -ए अंकित किया गया। साक्षी को साक्ष्य उपरांत उन्मुक्त किया गया। फरारी साक्ष्य एवं गिरफ्तारी वारंट व फरारी पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी **मिथुन** दर्शित पते पर निवासरत नहीं है, न ही उसका कोई स्थाई व निश्चित पता अभियोजन को ज्ञात है। अतः आरोपी **मिथुन पिता दुर्गाप्रसाद चान्देकर उम्र 25 वर्ष निवासी केशला बरघाट जिला सिवनी** को स्थाई रूप से **फरार** घोषित किया जाता है। आरोपी के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण में आरोपी फरार है, प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से मोटे अक्षरो में सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित कर परिणाम दर्ज कर

अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / —  
(आसिफ अब्दुल्लाह)  
न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय  
बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)